कृषि विज्ञानकेन्द्र, गोनेड़ा (कोटपूतली) जयपुर

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर

क्रमांक–KVK/KTP/275-279 दिनांक 06.12.2019

सीमितनिविदासूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्र फार्म पर लगभग 8 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रबी 2019–20 के लिए हिस्सा आधारित खेती के लिए सीमित निविदायें आमंत्रित की जाती है। इच्छूक व्यक्ति केन्द्र पर अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता से दिनांक 09.12.2019 प्रातः 11 बजे तक प्रपत्र प्राप्त कर सकते है तथा दोपहर 12.30 बजे तक जमा कराने होगे। निविदा उसी दिन को दोपहर 2 बजे निविदा कमेटी के सामने खोली जायेंगी। नियम व शर्ते प्रपत्र में उपलब्ध है। निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को होगा।

Supern Singh
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

प्रतिलिपि–

1. श्रीमान निदेशक महोदय, प्रसार शिक्षा निदेशालय,श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर ।
2. प्रभारी, सिमका श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय वेबसाइटपर अपलोड करना सुनिश्चित करे।
3. प्रभारी, टेप कमेटी कृषि विज्ञानकेन्द्र, गोनेड़ा (कोटपूतली) जयपुर
4. सूचना पट्ट कार्यालय
5. रक्षित पत्रावली।

Supern Singh
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनेड़ा (कोटपूतली) जयपुर

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर

निविदा सूचना KVK/KTP/275-279 दिनांक 06.12.2019

1. योजना का नाम	हिस्सा आधारित खेती
2. बजट हेड	रिवोल्विंग फंड
3. कार्य की अनुमानित अवधि	**रबी 2019–20**
4. धरोहर राशि की प्रकृति व राशि	5000/– रूपये

5. निविदादाता/कॉन्ट्रेक्टर द्वारा किये जाने वाले कार्य का विवरण–

क्र.सं.	विवरण	हिस्सेदारी	प्रतिशत (%)
1.	चारा उपज	कोन्ट्रेक्टर द्वारा रखा जाने वाला हिस्सा	
		कोन्ट्रेक्टर द्वारा केन्द्र को दिया जाने वाला हिस्सा	
2.	दाना/बीज उपज	कोन्ट्रेक्टर द्वारा रखा जाने वाला हिस्सा	
		कोन्ट्रेक्टर द्वारा केन्द्र को दिया जोने वाला हिस्सा	

निविदा शर्ते :–

1.	ट्रेक्टर सम्बन्धी कार्य तथा डिस्कप्लाउ, हेरो, कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी कार्य, सीड ड्रिल द्वारा बुवाई, फर्टीलाइजर ड्रिलिंग कार्य आदि की व्यवस्था केन्द्र द्वारा ही की जावेगी अर्थात इनमें सम्बन्धित डीजल खर्च मे निविदादाता का कोई येागदान नहीं रहेगा।
2.	बुवाई के दौरान एवं फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले बीज, खाद एवं उर्वरक, फंफूदनाशक, कीटनाशक, कल्चर, खरपतवारनाशी आदि की आपूर्ति केन्द्र द्वारा ही की जायेगी। आदान वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष की सिफारिष के अलावा देय नहीं होगा।
3.	बुवाई से लेकर फसल थ्रेसिंग एवं गोदाम तक तोलकर रखवाने तक की प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करने होंगे।
4.	विभिन्न प्रकार की सस्य क्रियायें फार्म मैनेजर व प्रभारी अधिकारी के निर्देषानुसार करनी होंगी तथा सारा श्रमिक व्यय एवं लगने वाले औजारों की व्यवस्था निविदादाता को ही वहन करनी होगी।
5.	निविदादाता को दिया जाने वाला उपज का हिस्सा जिन्स या रूपये के रूप में दिये जाने का निर्णय वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा व निविदादाता को पूर्ण मान्य होगा। थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाले बीज उत्पाद के बंटवारे के बाद कॉन्ट्रेक्टर को थ्रेसिंग के समय कृषि उपज मंडी कोटपुतली के 7 दिन (एक सप्ताह) के औसत भाव के आधार पर उसके हिस्से के उत्पादका चैक द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा। जिन जिंसो का भाव कृषि उपज मंडी ने नही होने पर जहाँ पर बेचान होता है। उस मंडी का भाव अखबार के आधार पर होगा।
6	निविदादाता को कृषि कार्यों का पूर्ण अनुभव होना चाहिए।
7	फार्म पर कृषि कार्यो के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने, सांप कांटने, बिजली से व अन्य किसी उपकरणों से या लापरवाही से दुर्घटना होने पर कार्य क्रम समन्वयक व केन्द्र की कोई जिमेदारी नहीं होगी तथा पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

8	फसल कटाई के मामलो में कटी हुई फसलों को कहां इक्कठा करना है व कितने ढेर बनाने है इसके लिए फार्ममैनेजर व प्रभारी अधिकारी से सम्पर्क करना होगा तथा प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों को देखते हुए फसल इक्कठा करने के लिए ट्रेक्टर ट्रोली की सुविधा केन्द्र द्वारा दी जा सकती है परन्तु यह शते केन्द्र के लिए बाध्य नहीं होगी।
9	निराई, गुडाई, कटाई, थ्रेसिंग तथा अन्य सम्बन्धित कार्य मौसम की देखते हुए निविदादाता को करने होंगे। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार फार्म मैनेजर व वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष को होगा।
10	फसल की थ्रेसिंग के पश्चात साफ किये फसल उत्पादन को बोरियों में भरकर फार्म भरकर मैनेजर व प्रभारी अधिकारी द्वारा बताये अनुसार तोलकर गोदाम में बोरियों की धांग निविदादाता को लगानी होगी। वजन तो लते समय नमीं एवं कचरा का 2 प्रतिशत काटा जायेगा।
11	थ्रेसिंग पश्चात बोरियों में भरते समय ध्यान रखें किसी भी बोरी का वजन 1 क्विंटल से अधिक नहीं हो।
12	थ्रेसिंग में लगे मषीनरी का खर्चा स्वयं निविदादाता द्वारा वहन करना होगा तथा थ्रेसिंग कार्य कार्यालय समय में ही होगा।
13	थ्रेसिंग के बाद फसल उत्पादन को खलिहान से गोदाम तक लाने के लिए फार्म ट्रेक्टर ट्रोली उपलब्ध करवा दी जायेगी।
14	फसल में रोगिंग/अपवांछन कार्य फार्म मैनेहर की देख रेख में निविदादाता को ही करना होगा।
15	प्रथम वरियता प्राप्त पार्टी द्वारा कार्य नही संम्भालने पर निविदा निरस्त करके अगली वरीयता पार्टी को कार्य का आर्देश अधोहस्ताक्षर कर्ता दे सकेगें। निविदा की अवधि एक वर्ष रहेगीं।
16	फार्म फिल्ड पर खरीफ–रबी में ट्राइल /कोप केफेटेरिया लगाया जाता है,तब उसकी जानवरों से सुरक्षा निविदादाता की करनी होगी।
17	फार्म में लगें या लगाये जाने वाले सजावटी /फलदार/ चारा पेड़ो की जानवरों से सुरक्षा निविदादाता को करनी होगी।
18	फार्म कार्य संतोषजनक नहीं होने पर निविदा को निरस्त करने का अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा जो कॉन्ट्रेक्टर को मान्य होगा।
19	आवास की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी। कार्यालय द्वारा कोई सुविधा देय नहीं होगी।
20	जमा राषि पर ब्याज देय नहीं होगा।
21	थ्रेसिंग कार्य में बताये अनुसार थ्रेसर लगाकर कार्य करवाना होगा एवं केन्द्र की थ्रेसर उपलब्ध नहीं होने पर निविदादाता को अपने खर्चे से थ्रेसिंग कार्य करवाना होगा। केन्द्र द्वारा थ्रेसर मषीन उपलब्ध कराना बाध्य नहीं है।
22	फार्म की फसलों की रखवाली दिन–रात की निविदादाता द्वारा की जावेगी।केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा।
23	सफल निविदादाता को पचास रूपये के नॉनज्यूडिषयल स्टाम्प पेपरपर शपथ देना होगा।
24	फार्म पर बुवाई क्षेत्र के आसपास खरपतवार व अन्य अवांछित पौधे निकालने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।पौधे नहीं निकालने पर लगने वाली मजदूरी का भुगतान निविदादाता से वसूला जावेगा।
25	निविदादाता को प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर करने होंगे।

Supamsingh

हस्ताक्षर निविदादाता